

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

प्रपत्र X

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम
(अधिनियम की द्वितीय अनुसूची एवं नियम-30 देखें)

भू अर्जन वाद संख्या-27 / 2012-13

मौजा का नाम-पदमपुर

भू अर्जन वाद संख्या-27 / 2012-13														मौजा का नाम-पदमपुर				
परियोजना का नाम - देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण।																		
अधिघोषणा / अधिसूचना की सं० तथा तिथि जिसके अधीन भूमि अर्जित किया जाना है-अधिसूचना संख्या-366 / भू अ०, दिनांक -02.11.2012।																		
भूमि की अवस्थिति एवं विस्तार (एकड़ में) जहां पुनर्वास प्रस्तावित है - मौजा-नैयाडीह, थाना सं०-404, रकबा -19.62 एकड़ (नक्शा की छायाप्रति संलग्न)																		
सर्वेक्षण मानचित्र पर क्षेत्र खंडों की संख्या, वह गाँव जहाँ मील योजना यदि कोई हो, सहित																		
भवन इकाई का विवरण, आई0ए0वाई0 परिवहन खर्च, आवास भत्ता, वार्षिकी, रोजगार, जीवन निर्वाह अनुदान, पशुशाला, छोटी-मोटी टुकान, एक बरगी पुनर्वासन भत्ता इत्यादि।																		
भूमि में हितवद्ध रखनेवाले व्यक्तियों के नाम और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपने-अपने दावों की प्रकृति।																		
दावा करने वालों के नाम / प्रभावित परिवार														प्रतिकर की राशि का सविभाजन (क्षेत्रफल एकड़ में)				
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी														बैंक खाता संख्या				
														प्रत्येक को देय रकम				
														शेर विलीय की हकदारी				
														अभ्युक्ति				
क्र०सं०	नाम	पिता / पति का नाम	आवंटन किए जाने वाले आवास	आवंटन की जानेवाली भूमि	भरस्य ग्रहण अधिकार	परिवहन खर्च	आवास भत्ता	एकमुस्त भुगतान	रोजगार	जीवन-निर्वाह अनुदान	पशुशाला 1	छोटी-मोटी टुकान 1	एक बरगी पुनर्वासन भत्ता	अन्य अवयव यदि हो	IV	V	VI	VII
I	II(a)	II(b)	III (a)	III (b)	III (c)	III (d)	III (e)	III (f)	III (g)	III (h)	III (i)	III (j)	III (k)	III (l)				
1	शिवशंकर यादव	नुनमणि यादव	1	0	0	500000	0	5000000	0	360000	0	0	500000	0	0	6360000	0	वहुमंजिले इमारत में आवास का आवंटन

कुल योग-	0	50000	0	500000	0	36000	0	0	50000	0	0	636000	0	अलग से किया जा रहा है।
----------	---	-------	---	--------	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---	------------------------

स्थापना व्यय 5% 31800

स्थापना व्यय 0.5% 3180


कुल राशि 670980

(छ: लाख सत्तर हजार नौ सौ अस्सी) रुपये मात्र


7 उपर्युक्त अंकित मामलों में जिस प्रभावित परिवार के संबंध में कोई अवयव लागू ना हो तो उसे "लागू नहीं" अंकित किया जाए।

8 तिथि जब प्रभावित परिवार को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के हकदारी दी गई।

तिथि.....


19-01-2017
प्रशासक-सह-अपर समाहर्ता,
देवघर।


समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर


आर. पण्ड आर.